

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 484]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 सितम्बर 2017—भाद्र 15, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2017

सूचना

क्र. एफ 16-7-2017-बाईस-पं-2.—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में नीचे उल्लेखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 31-क में,—

1. विद्यमान शीर्षक “आपराधिक अभिलेख सम्पत्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हताओं आदि की जानकारी” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक, स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“अभ्यर्थी की व्यक्तिगत जानकारी”—

2. उप नियम (1) एवं (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाए; अर्थात्:—

“(1) पंच के पद के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी नामनिर्देशन-पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसकी शैक्षणिक अर्हताओं, लंबित/विनिश्चित आपराधिक मामलों, स्वयं की तथा उसके/उसकी पति या पति और आश्रितों की आस्तियों तथा दायित्वों क्या वह सरकारी भूमि पर अधिक्रमणकर्ता है, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों की शोध राशि, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के कालातीत ऋण तथा उसके आवासीय परिसर में प्लश शौचालय/जलवाहित शौचालय होने के बारे में जानकारी सम्मिलित होगी”.

- (2) सरपंच, ग्राम पंचायत, सदस्य जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी नामनिर्देशन-पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए प्रारूप में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसकी शैक्षणिक अर्हताओं, लंबित/विनिश्चित आपराधिक मामलों, स्वयं की तथा उसके पति या पत्नी और आश्रितों की आस्तियों तथा दायित्वों के क्या वह सरकारी भूमि पर अधिक्रमणकर्ता है मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों की शोध्य राशि, प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था के कालातीत ऋण तथा उसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय/जलवाहित शौचालय होने के बारे में जानकारी सम्मिलित होगी. शपथ-पत्र पर, नोटरी, सक्षम मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ ग्रहण की जाएगी.”

NOTICE

No F-16-7-2017/XXII/P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), The State Government, hereby make the following amendments in the Madhya Pradesh Nirvachan Niyam, 1995, the same having been previously published as required sub-section (3) of Section 95 of the said Act Namely:—

AMENDMENT

In the said Rules,—

1. for the existing heading “information of criminal record, properties, liabilities and educational qualification”, the following heading shall be substituted namely:—

“Personal information of the candidate.”.

2. for sub-rule (1) and (2), the following sub-rule shall be substituted namely:—

“(1) Every candidate for the post of Panch shall submit a declaration in a form as prescribed by the State Election Commission along with nomination paper which shall include information about his educational qualification, criminal cases pending/decided, his/her asstes and liabilities and that of his/her spouse and dependents, information about whether he/she is an encrocher on Government Land, any dues payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies any dues of time barred loan to any primary agriculture credit cooperative Society and about existence of flush latrine in his/her residential premises.

“(2) Every candidate for the post of Sarpanch Gram Panchayat member of Janpad Panchayat and Zila Panchayat shall submit an affidavit, in a form as prescribed by the State Election Commission along with nomination paper which shall include information about educational qualifications, criminal cases pending/decided, his asstes and liabilities and that of his spouse and dependents, whether he is an encroacher on government Land, any dues payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies, any dues of time barred loan to any primary agriculture credit cooperative Society and about existence of flush latrine in his/her residential premises. The affidavit shall be sworn before Notary, competent Magistrate or Oath Commissioner.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, अपर सचिव.